सेल्फ रिलाइंट इंडिया फंड
{Self Reliant India (SRI) Fund}
संबंधी दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उदयम (एमएसएमई), भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण) और सेवा क्षेत्र में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई हैं, जिनमें 11 करोड़ से अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं। एमएसएमई का देश से किए जाने वाले निर्यात में भी बहुत बड़ा योगदान है। एमएसएमई देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। लेकिन एमएसएमई को पूंजी की अपर्याप्त उपलब्धता की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। एमएसएमई की बाह्य इक्विटी तक बहुत सीमित पहुंच है, इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत कम निवेशक ही प्रारंभिक स्तर पर इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराते हैं। भले ही इक्विटी उपलब्ध करा भी दी जाए तो उसकी प्राप्ति (अपटेक) निम्नलिखित कारणों से कम रहती है:

- एमएसएमई का कानूनी ढांचा बाह्य इक्विटी प्राप्ति में व्यवधान होता है,
- छोटे आकार के प्रत्येक उद्यम को इक्विटी निवेशकों के संबंध में लेन-देन संबंधी लागत और प्रबंधन की लागत को बढ़ाना पड़ जाता है, जिसके कारण उसके प्रति अपेक्षाकृत कम आकर्षण होता है,
- प्रमोटरों, निवेशकों और अन्य हित धारकों (स्टेक होल्डरों) के बीच सूचना की विषमता,
- नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में उद्यमियों की चिंता,
- गैर-रेखीय प्राप्ति (नॉन-लिनियर रिर्टन) की कम संभावना जिससे वेंचर कैपिटल (वीसी) के वित्त पोषण को प्रोत्साहन नहीं मिलता है,

इसके अलावा, वर्तमान वीसी इको-सिस्टम को प्रौद्योगिकी चालित उद्यमों की आवश्यकता है और इसमें कई शर्तें भी हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि वीसी के अधीन सामान्यत: प्रारंभिक व्यवस्था वाले वित्तपोषण का प्रस्ताव दिया जाता है, लेकिन बहुत कम वीसी ऐसे हैं, जो संवर्धन की अवस्था

(ग्रोथ स्टेज) के लिए वित्त पोषण उपलब्ध करते हैं। बहुत से मूल कारणों में से एक कारण यह भी है कि एमएसएमई का एक सीमा से अधिक विकास नहीं हो पाया है। इसके अलावा किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करते समय एमएसएमई और उनके स्टेक होल्डरों को बहुत लाभ दिए जाते हैं, लेकिन एमएसएमई प्राय: सूचीबद्ध होने से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उसमें व्यवसाय संबंधी कई बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता बढ़ जाती है, और कई अन्य जिम्मेदारियों को भी वहन करना पड़ता है। सूचीबद्ध होने से एमएसएमई को तेजी से विकास होने में सहायता मिल सकती है और वहां दीर्घकाल तक संपोषित हो सकती है।

सेल्फ रिलाएंट इंडिया (एसआरआई) फंड के नाम से एमएसएमई का फंड स्थापित करने से उनकी चुनौतियों का धीरे-धीरे समाधान किया जाएगा, उनकी बाधाओं को हटाया जाएगा, निगमीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और पूरी संभावना के साथ उनका विकास किया जाएगा। सरकार के विशेष प्रयासों (इंटरवेंशन) से एसआरआई फंड योजना के द्वारा ऐसे एमएसएमई को विभिन्न प्रकार के फंड मिल सकेंगे, जिन्हें अभी तक ये सुविधाएं नहीं मिली थी और एमएसएमई के विविध तथा उच्च विकास की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा।

2. उददेश्य : श्रेणी-।। वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के रूप में, एसआरआई फंड इक्विटी या अर्ध-इक्विटी के रूप में, डॉटर फंड को धन उपलब्ध कराएगी जिसे एमएसएमई को आगे ग्रोथ (संवृद्धि) पूंजी के रूप में डॉटर फंड द्वारा दिया जाएगा। इससे निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी:-

i एमएसएमई के वित्त-पोषण के लिए इक्विटी/इक्विटी सम निवेश की व्यवस्था करने और स्टॉक एक्सचेंज में एमएसएमई को सूचीबद्ध करने में।

ii एमएसएमई के कारोबार में तेजी से विकास करने में सहायता प्रदान होगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी।

iii ऐसे उद्यमों की सहायता की जा सकेगी, जिनमें एमएसएमई की सीमा से आगे बढ़ने और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय उद्यम बनने की संभावना है

iv ऐसे एमएसएमई को सहायता प्रदान की जाएगी जो संगत प्रौद्योगिकी माल और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।

3. फंड का कार्यक्षेत्र और लक्ष्य:

i चूंकि: एमएसएमई पूरे देश में स्थापित हैं, फंड का संवितरण इस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़े और देश के दूरस्थ-क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की भी इस फंड तक पहुंच हो।

ii डॉटर फंड के माध्यम से फंडिंग का लक्ष्य ग्रुप, वे एमएसएमई होंगी, जिनमें विकास की संभावना हो, लेकिन जो अपनी पूंजी संबंधी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हों, उनकी बाजार तक पहुंच न हों और उधार की लागत के कारण उधार लेने में कठिनाई हो रही हो, जो प्रतिभूति प्रदान करने में असमर्थ हों और जिन पर बहुत अधिक ऋण आदि का भार हो। इस समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:-

क. यह फंड ऐसे सभी विद्यमान और इच्छुक पात्र एमएसएमई को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा, जिन्हें मूल्याकंन के बाद व्यवहार्य पाया जाएगा, जिनके विकास का लक्ष्य सकारात्मक हो और जिनके पास विकास की ऐसी सुनिश्चित कारोबार योजना हो, जिसमें सकरात्मक निधियों के प्रवाह की संभावना दर्शाई गई हो। पिछले तीन वर्ष के सीएजीआर पर विचार किया जाएगा और विकास की संभावना को उचित महत्व दिया जाएगा।

ख. समय-समय पर यथा संशोधित एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार परिभाषित एमएसएमई इस संबंध में विचार करने के लिए योग्य (eligible) होंगी।

ग. गैर-लाभकारी संस्थाएं, एनबीएफसी, वित्तीय समावेशी क्षेत्र, सूक्ष्म क्रेडिट क्षेत्र, एसएचजी और अन्य वित्तीय माध्यमिक संस्थाएं इस संबंध में विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगी।

घ. इस निधि में यह अपेक्षा की जाएगी कि उद्यम पूंजी वित्त पोषण से, नॉन-लिनियर प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से, अलग-अलग टर्म शीटों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। यह निधि

रोजगार पैदा करने, क्षेत्रीय विषमता कम करने, समग्र आर्थिक विकास करने और गंभीर तथा विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की दृष्टि से गैर मौलिक पहलू का भी कारण होगी।

ङ. उपर्युक्त के अलावा निवेश उन्मुखी, उद्योग केन्द्रित और कार्यनिधि संबंधी दिशा-निर्देशों पर प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम भरते समय विचार किया जाएगा।

4. एसआरआई फंड का ढांचा: इस फंड की कार्य-नीति प्रत्यक्ष निवेश की वजाय अन्य निवेश फंड को धारण करने की है। एआईएफ के संदर्भ में, फंड ऑफ फंड एक एआईएफ है, जिससे अन्य एआईएफ में निवेश किया जाता है। तदनुसार, यह एसआरआई फंड मदर/डॉटर फंड का संमिश्रण है जिसमें प्राइवेट इक्विटी/अन्य फंड का लाभ लिया (Leverage) जाएगा और इस प्रकार, इससे आरंभिक बजट प्रावधान पर बहुमुखी विस्तार होगा। विकास पूंजी के रूप में आगे निवेश करने के लिए मदर फंड केवल डॉटर फंड को ही वित्त उपलब्ध कराएगा। जबकि एमएसएमई में निवेश इस फंड के अधीन डॉटर फंड द्वारा किया जाएगा। मदर और डॉटर फंड दोनों ही सेबी में वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में पंजीकृत होंगे। एमएसएमई को इक्विटी और ऋण वित्त पोषण दोनों प्रदान करने में डॉटर फंड को अवसर देने की दृष्टि से डॉटर फंड एआईएफ की श्रेणी-। या ।। के रूप में सेबी में पंजीकृत होंगे।

5. एसआरआई फंड का समग्र फंड ढांचा:

(i) भारत सरकार एक मात्र मुख्य निवेशक होगी और चरणबद्ध तरीके से मदर फंड में 10,000 करोड़ रूपए की प्रारंभिक बजट सहायता करेगी। मदर फंड में निवेश करने के लिए किसी बाह्य निवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। मदर फंड की सूची में कई डॉटर फंड होंगे। शर्त यह है कि वे निर्धारित शर्तों और उचित प्रक्रिया का पालन करें।

(ii) सूची में शामिल डॉटर फंड बाहरी स्रोतों से फंड एकत्र करेंगे, जिसमें अन्य संस्थाओं के साथ-साथ बैंक/वित्तीय संस्थाएं, एचएनआई, वीसी/पीई/ संस्थागत निवेशक/पीएसयू/पेंशन फंड/विदेश विकासशील

संस्थाएं आदि शामिल होंगी। मदर फंड की सूची में शामिल होने के बाद डॉटर फंड निधियां जुटाएगा जिससे डॉटर फंड की प्रत्येक चार यूनिटों के लिए वे एसआरआई फंड की एक यूनिट पाने के पात्र होंगे और उसे मदर फंड से बैक-इंडेड (back-ended) प्राप्त कर सकेगें। सभी 5 यूनिटें निवेश के लिए डॉटर फंड को उपलब्ध होंगी। इस प्रकार इस निधि का 80 प्रतिशत डॉटर फंड द्वारा जुटाया जाएगा और 20 प्रतिशत अंत में मदर फंड द्वारा प्रदान किया जाएगा। डॉटर फंड को जारी की जाने वाली और स्वीकृत की जाने वाली राशि न्यूनतम 25 करोड़ रूपये होगी और उसके बाद 5 करोड़ रुपये के गुणांक में होगी। जहां तक उसकी प्रगति का प्रश्न है, सरकार द्वारा प्रदान किया गया मदर फंड 10,000 करोड़ रूपये को 50,000 करोड़ रूपये तक बढ़ाया जाएगा (जिसमें 10,000 करोड़ रूपये भारत सरकार का होगा और 40,000 करोड़ रूपये डॉटर फंड का होगा)।

(iii) एमएसएमई सामान्यत: वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है और इसके लिए वित्तीय संस्थाएं ऋण और इक्विटी का अनुपात 3:1 रखती हैं। इस प्रकार, एमएसएमई को उपलब्ध प्रचालन फंड की उपलब्धता बाद में, डॉटर फंड द्वारा एमएसएमई में निवेश की गई राशि से 3 गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार विकास फंड की उपलब्धता काफी होती है।

6. फंड की अवधि:

- एमएसएमई के प्रकार और इस समय आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए फंड की दीर्घकालिक अवधि **15** वर्ष रखी जा सकती है।
- प्रतिबद्धता अवधि आखिरी क्लोजिंग तारीख से 6 वर्ष।
- एफओएफ एक परिक्रामी (रिवाल्विंग) फंड होगा क्योंकि एआईएफ में निवेश किए गए फंड से अर्जित फंड को पुन: निवेश किया जाएगा।

7. फंड प्रबंधक/एएमसी:

- फंड प्रबंधकों/एएमसी को फंड प्रबंधक के रूप में निवेशों का कम से कम 5 वर्ष के फंड के प्रबंधन का पूर्व अनुभव होना चाहिए और उन्हें कम से कम 500 करोड़ रूपये के फंड का प्रबंध करने का अनुभव होना चाहिए।
- फंड प्रबंधकों के कार्य निष्पादन का पिछला रिकार्ड, फंड प्रबंधक बनने के लिए उनका मूल्याकंन करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

8. एमएसएमई के निवेश इकोसिस्टम का प्रोन्नयन

एमएसएमई पूरे देश में स्थापित है और उनका ढांचा स्टार्ट-अप और वीसी निवेश से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए ऐसी नई संस्थाओं और प्रतिष्ठानों का सृजन और विकास करना महत्वपूर्ण होगा जो डॉटर फंड में योगदान देकर एमएसएमई के इकोसिस्टम को स्थापित करने में सहायक हो सके।

बैंक/बीमा कंपनी/पेंशन फंड/केंद्रीय/राज्य पीएसयू/वित्तीय संस्थाएं/ औद्योगिक विकास संस्थाएं, एमएसएमई को बढ़ावा देने का कार्य कर सकते हैं क्योंकि वे पहले ही उनसे संव्यवहार कर रही हैं या उन्हें बढ़ावा देने का कार्य कर रही हैं। ये प्रतिष्ठान एमएसएमई को अभिनिर्धारित कर सकती हैं और निम्नलिखित तरीके से उनका प्रोन्नयन कर सकती हैं:

क. पीएसयू/वित्तीय संस्थाएं/औद्योगिक विकास संस्थाएं इन एमएसएमई की के विकास और मापन के लिए मेनटॉर के रूप में कार्य कर सकती हैं।

ख. पीएसयू/वित्तीय संस्थाएं/औद्योगिक विकास संस्थाएं, जो अलग-अलग क्षेत्रों (ऑयल पीएसयू, ईआइएल आदि) में निवेश के लिए पहले ही टीमों का गठन कर चुके हैं, एमएसएमई में निवेश करके योगदान दे सकते हैं और इस प्रकार वे एक मेनटॉर और एक निवेशक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

ग. पीएसयू/वित्तीय संस्थाएं/औद्योगिक विकास संस्थाएं, डॉटर फंड में निवेश कर सकती हैं।

9. कानूनी और सुशासन ढांचा :

क. मदर फंड को ऐसे एसपीवी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा (जिसमें एनएसआईसी की 100 प्रतिशत इक्विटी हो), जिसे एक अलग कानूनी प्रतिष्ठान के रूप में निगमित किया जाएगा। इस प्रकार गठित एसपीवी का एक स्वतंत्र बोर्ड होगा। एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इसके अध्यक्ष होंगे, दो सरकारी नामित निदेशक, एक एनएसआईसी द्वारा नामित निदेशक होगा और एक व्यावसायिक सीईओ होंगे।

ख. एसपीवी निधि, श्रेणी । या ।। वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के रूप में मदर फंड को पंजीकृत करने के लिए सेबी को आवेदन पत्र देगा।

ग. भारत सरकार द्वारा एसआरआई फंड के लिए एक सलाहकार बोर्ड/समिति का गठन किया जाएगा, जो एसआरआई फंड के समस्त कार्यपालक ढांचे पर नियंत्रण रखेगा। सचिव (एमएसएमई) इस सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, और इसमें प्राइवेट इक्विटी तथा उद्यम पूंजी क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ और भारत सरकार के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे।

घ. यह सलाहकार बोर्ड, मदर फंड से उधार देने/मदर फंड से निवेश करने संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जिसमें डॉटर फंड को सूचीबद्ध करना होगा, निवेश और उसकी अवधि संबंधी विवरणी सहित निवेश संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे जिसमें विद्यमान विकल्प के क्षेत्रों और खंड के क्षेत्रों आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

ङ. सलाहकार बोर्ड आवधिक रूप से इस स्कीम के प्रगति को भी मॉनीटर करेगी।

च. निवेश प्रबंधक व्यावसायिक निवेश समिति का गठन करेगी, जिसमें निवेश और/या फंड प्रबंधकों सहित अनुभवी प्रॉफेशनल और जोखिम प्रबंधक होंगे।

छ. निवेश समिति का अध्यक्ष कोई प्रतिष्ठित प्रॉफेशनल होगा, जिसे वित्त/बैंकिंग और/या पूंजी बाजार का पर्याप्त और बहुत अच्छा अनुभव हो। निवेश समिति सरकार से दूरी बनाए रखेगी और व्यावसायिक दृष्टि से निर्णय लेगी।

ज. मदर फण्ड का एसपीवी बोर्ड एसआरई फण्ड के प्रचालन पर नजर रखेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआईएफ,जिसमें निवेश प्रबंधक और निवेश समिति भी शामिल है, द्वारा लिए गए निर्णय सेबी के विनियमों, प्लेसमेंट ज्ञापन की शर्तो, निवेशकों के साथ निष्पादित करारों, फण्ड संबंधी अन्य दस्तावेजों और लागू कानूनों के अनुरूप हैं।

झ. एसआरआई फंड के प्रायोजक की हैसियत से निवेश प्रबंधक और एनएसआईसी समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (एआईएफ) विनियम 2012 के विनियम 21 में निर्धारित हितों के टकराव से संबंधी सिद्धांतों के अनुसार सदैव कार्य करेंगे।

10. निवेश संबंधी कार्यनीति: मदर फंड

क. मदर फंड बिना किसी रोक-टोक कार्य करेगा अर्थात वह बाह्य एआईएफ या आंतरिक रूप से स्थापित/डॉटर फंड, यदि कोई हो, दोनों में इस प्रकार निवेश कर सकती है, जिनका अच्छा निवेश रिकार्ड हो और जो कार्यनीति के अनुसार उपयुक्त हों।

ख. मदर फंड अनुमोदित, विशिष्ट डॉटर फंड के माध्यम से ही अपने सभी निवेशों का संचालन करेगा और सीधे एमएसएमई में निवेश नहीं करेगा।

ग. सभी निवेशों को निवेश समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह निवेश सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति और इस प्रचालन दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार किए जाने चाहिए।

घ. एआईएफ को अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक मदर फंड द्वारा सहायता की जाएगी, जो अंशदान दी गई रकम को 5 गुने के बराबर एमएसएमई में निवेश करेगी। इन निवेशी कंपनियों से आशा की जाएगी कि वह अपना करोबार बढ़ाए और एक परिपक्व कारोबार के रूप में विकास करें जिससे वह इक्विटी पूंजी की बड़ी मात्रा को आकर्षित करें, जिसका काफी गुणात्मक प्रभाव होगा।

ङ. निवेश का मुख्य ध्यान पारम्पारिक मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण) और एमएसएमई की सेवाओं पर होगा, जिनमें काफी वित्तीय पोषण की आवश्यकता पाई जाती है क्योकि विद्ययमान वीसी/पीई, आईटी और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के अनूकूल होते हैं, जोकि अच्छा नियंत्रण उपलब्ध कराते हैं और उच्च तथा त्वरित प्राप्ति देते हैं,

च. निवेश समिति द्वारा, निवेश प्रबंधक की सिफारिश पर, डॉटर फंड को मदर फंड में सूचीबद्ध (empanelled) किया जाएगा बशर्ते कि वे निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हों और निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हों:

i डॉटर फंड को निवेश के बेहतर लचीलेपन की दृष्टि से श्रेणी । या

ii एआईएफ के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

iii निवेश नीति, लक्ष्य एमएसएमई, अवधि, निवेश पर प्राप्ति, व्यवधान और अधिकतम दरें तथा विधिमान नीति, मदर फंड के निवेश प्रबंधक को प्रस्तुत की जाएंगी।

iv एआईएफ, जिसे भारत सरकार के किसी फंड ऑफ फंड से प्रतिबद्धता उपलब्ध है, जैसा कि स्र्टार्ट-अप फंड ऑफ फंड, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ईडीएफ, एएसपीआईआरई आदि, इस निधि के अधीन आने के लिए पात्र होंगे। बशर्ते कि संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के सभी फंड ऑफ फंड से कुल संग्रहीत अंशदान, इस फंड की संग्रहीत रकम की उस विनिर्दिष्ट प्रतिशतता से अधिक हो, जो सेबी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए पीपीएम तैयार करते समय, सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।

भारत सरकार के अन्य फंड ऑफ फंड से प्राप्त डॉटर फंड की वित्त पोषण की सहायता, डॉटर फंड द्वारा जुटाई जाने वाली 80 प्रतिशत की अपेक्षित निधि में शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसे सरकार द्वारा किए जाने वाले दोहरे वित्त पोषण के रूप में समझा जाएगा। ऐसे मामले में इस फंड की अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रयोजन के लिए एमएसएमई के रूप में अर्हक निवेशों को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वे भारत सरकार की किसी अन्य निधि के अंत उपयोग में गिनी जाएंगी।

v मदर फंड में पंजीकृत प्रत्येक डॉटर फंड के लिए जोखिम सीमा (Exposure Limit) तय की जाएंगी। मदर फंड की आरंभिक रकम के 20 प्रतिशत की अधिकतम जोखिम सीमा होनी चाहिए अर्थात किसी भी डॉटर फंड में निवेश की सीमा 2000 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vi मदर फंड, डॉटर फंड द्वारा लाए गए अंशदान के अनुपात में स्वीकृत निधियां जारी करेगा। डॉटर फंड मदर फंड से आहरण की मांग एमएसएमई को उनके द्वारा स्वीकृत सहायता की अपेक्षा

एवं निवेश की शर्तों के अनुसार होगा। डॉटर फंड, मदर फंड से प्राप्त रकम को 2 माह के अंदर निवेश करेगा। यदि वे ऐसा करने मे असमर्थ हों, तो वे 2 माह की अवधि समाप्त होने से पहले, एक माह की समय-सीमा बढ़ाने के लिए मदर फंड से अनुरोध कर सकते हैं। मदर फंड इस संबंध में अपना निर्णय लेगा और यदि समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो डॉटर फंड द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंदर इस निधि को निवेश किया जाएगा, ऐसा न करने पर डॉटर फंड, बढ़ाई गई समय सीमा की समाप्ति के अगले दिन मदर फंड को इसे लौटाएगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद डॉटर फंड द्वारा रोके गए किसी फंड पर मदर फंड द्वारा ब्याज लगाया जाएगा।

vii मदर फंड द्वारा की गई प्रतिबद्धता 18 माह तक विधिमान्य होगी, जिसके दौरान पात्र डॉटर फंड को प्रथम क्लोजिंग करनी होगी। ऐसा न करने पर, मदर फंड द्वारा की गई प्रतिबद्धता का पुर्नमूल्याकंन किया जाएगा। (स्पष्टीकरण: इस उप पैरा के प्रयोजन के लिए पहली बार डॉटर फंड क्लोज करने का तात्पर्य एसआरआई फण्ड द्वारा प्रतिबद्धता के बाद पहली बार क्लोजिंग करने से है)।

viii उचित प्रक्रिया का पालन करने और उचित परिश्रम (due diligence) करने के बाद डॉटर फंड को सूचीबद्ध करने और जोखिम की सीमा (Exposure Limit) तय करने का कार्य, निवेश प्रबंधक की सिफारिश करने पर, मदर फंड की निवेश समिति द्वारा किया जाएगा।

ix एक स्वतंत्र फंड प्रबंधक/निवेश प्रबंधक/एएमसी को, मदर फंड के फंड प्रंबधन का कार्य, सौपा जाएगा, जिसका चयन उचित प्रक्रिया का पालन करके किया जाएगा।

x विस्तृत निवेश कार्यनीति और दिशा-निर्देश, सृजित ऑपशन के सेबी में दाखिल करने के प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरंडम (पीपीएम) तैयार करते समय तय किए जाएंगे।

11. डॉटर फंड:

निवेश संबंधी कार्य-नीति: मदर फंड के एक से अधिक डॉटर फंड होंगे। प्रोफेशनलों से गठित निवेश समिति, सूचीबद्ध करते समय, मदर फंड द्वारा अनुमोदित अलग-अलग डॉटर फंड के व्यवसायिक लक्ष्य के उद्देश्यों के अनुसार ही, प्राप्त प्रस्तावों के बारे में निवेश से संबंधी निर्णय लेंगी।

12. वाणिज्यिक :

क. एक प्रतिशत प्रबंध शुल्क एसपीवी को अनुमत होगा। मदर फंड को दी गई वास्तविक निधि पर ही प्रबंध शुल्क देय होगा।

ख. एसआरआई फंड (मदर फंड) को प्रचालित करने वाले एएमसी (फंड मैनेजर) को, समिति/बोर्ड के लिए ज्ञापन तैयार करने, बैठक आयोजित करने आदि के संबंध में किए गए यथोचित परिश्रम (due diligence) के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा (इसमें प्रचालन व्यय सहित सभी व्यय भी शामिल है)। यह शुल्क अधिक से अधिक प्रतिवर्ष डॉटर फंड में की गई प्रतिबद्धता, उत्कृष्ट प्रतिबद्धता (outstanding contributions) और नियोजित अंशदान फंड (contributions funds deployed) के 0.50 प्रतिशत तक होगा। इसका भुगतान छमाही अंतराल पर किया जाएगा।

ग. सभी भुगतान एवं व्यय (जिसमें उपरोक्त क और ख में उल्लिखित शुल्क भी शामिल हैं) फंड में डेबिट करके किए जाएंगे और उन्हें प्रचालन व्यय समझा जाएगा।

13. जोखिम प्रबंधन:

क. मदर फंड और डॉटर फंड दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें वित्तीय जोखिम प्रबंधन और पर्यावरण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली विद्यमान है।

ख. एसआरआई फंड स्कीम के कार्य निष्पादन और कार्यान्वयन पूरे परिश्रम से किया जाएगा ताकि भारत सरकार अर्थात मुख्य निवेशक के हितों की रक्षा हो सके।

14. विविध:

क. निवेशों का वर्गीकरण वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

ख. अलग-अलग एमएसएमई और समूह जोखिम सीमा (Group Exposure Limit) पीपीएम दाखिल करते समय निर्धारित की जाएगी।

ग. मदर फंड द्वारा डॉटर फंड के साथ ओम्निबस (Omnibus) दस्तावेजों के लेने की व्यवस्था की जाएगी।

घ. अलग-अलग एमएसएमई में निवेश करने के लिए अलग-अलग डॉटर फंड द्वारा दस्तावेज निष्पादित किए जाएंगे, लेकिन इस दस्तावेज में मदर फंड के हितों और अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

ङ. एसपीवी मदर फंड का पोर्टल तैयार करने की व्यवस्था करेगा और क्रियाकलापों की ऑनलाइन व्यवस्था करेगा।

च. सेबी या किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/विनियमों के अनुरूप तैयार करने के लिए इन दिशानिर्देशों में, यदि अपेक्षित हो, संशोधन किया जा सकता है।

****

नोट:

यह सेल्फ रिलाइंट इंडिया फंड की आपरेटिंग गाइड लाइंस का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी शंका या विवाद की दशा में मूल अंग्रेजी संस्करण अधिमान्य होगा।

****